

ईसीजीसी लिमिटेड

गैर-जीवन कंपनियों के लिए अनुपात के संबंध में सूचना

फॉर्म एनएल-30 विश्लेषणात्मक अनुपात

क्रम संख्या	विवरण	जून 2019 की तिमाही हेतु	जून 2019 की तिमाही तक	जून 2018 की तिमाही हेतु	जून 2018 की तिमाही तक
1	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वृद्धि दर (%)	-2.76%	-2.76%	-8.09%	-8.09%
2	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम से निवल मूल्य अनुपात (गुना)	0.06	0.06	0.07	0.07
3	निवल मूल्य की वृद्धि दर (%)	30.38%	30.38%	-6.17%	-6.17%
4	शुद्ध प्रतिधारण अनुपात (%)	67.40%	67.40%	61.46%	61.46%
5	शुद्ध कमीशन अनुपात (%)	-5.55%	-5.55%	-7.01%	-7.01%
6	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अनुपात (%) के प्रबंधन के खर्च	20.94%	20.94%	16.31%	16.31%
7	शुद्ध लिखित प्रीमियम अनुपात (%) के प्रबंधन के खर्च	31.06%	31.06%	26.53%	26.53%
8	शुद्ध अर्जित प्रीमियम का शुद्ध दावा (%)	85.74%	85.74%	360.23%	360.23%
9	संयुक्त अनुपात (%)	110.86%	110.86%	379.39%	379.39%
10	शुद्ध प्रीमियम अनुपात के लिए तकनीकी प्रावधान(समय)	37.81	37.81	39.61	39.61
11	हामीदारी शेष अनुपात (%)	22.09%	22.09%	-247.49%	-247.49%
12	परिचालन लाभ अनुपात (%)	100.58%	100.58%	-184.84%	-184.84%
13	चल संपत्ति से देनदारियों का अनुपात (बीमाकर्ता की चल संपत्ति को पॉलिसी धारकों की देनदारियों से विभाजित किया जाता है) (टाइम्स)	0.38	0.38	0.24	0.24
14	शुद्ध आय अनुपात (%)	109.25%	109.25%	-102.36%	-102.36%
15	निवल मूल्य पर वापसी (%)	4.10%	4.10%	-4.69%	-4.69%
16	उपलब्ध शोधन-क्षमता से आवश्यक शोधन-क्षमता अनुपात (समय)		12.24		6.70
17	सकल एनपीए अनुपात				
	निवेश:	0.970%	0.970%	0.051%	0.051%
	फैक्टरिंग:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

गैर-जीवन बीमाकर्ताओं के लिए इक्विटी होल्डिंग पैटर्न

1	(क) शेयरों की संख्या	200000000	200000000	150000000	150000000
	(ख) शेयरधारिता का प्रतिशत (भारतीय/विदेशी)	100%	100%	100%	100%
	(ग) % सरकारी होल्डिंग (सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के मामले में)	100%	100%	100%	100%
2	(क) अवधि के लिए अतिरिक्त सामान्य वस्तुओं (कर व्यय का शुद्ध) से पहले मूल और मन्दित ईपीएस (वार्षिक नहीं किया जाना है)	9.53	9.53	-11.17	-11.17
	(ख) अवधि के लिए अतिरिक्त सामान्य वस्तुओं (कर व्यय का शुद्ध) से पहले मूल और मन्दित ईपीएस (वार्षिक नहीं किया जाना है)	9.53	9.53	-11.17	-11.17
3	प्रति शेयर बुक मूल्य (₹.)		232.70		259.35

वर्तमान एवं पिछले वर्ष के अनुपातों की गणना आई आर डी ए आई के मास्टर परिपत्र IRDA/F&I/CIR/F&A/231/10/2012 दिनांक 5 अक्टूबर 2012 एवं वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रभावी , 3 जुलाई को जारी उसके उसके शुद्धि पत्र IRDA/F&A/CIR/FA/126/07/2013 के आधार पर की गयी है.

<https://www.ecgc.in>